कृपया प्रकाशनार्थ **28 जुलाई 2011**

न्यायालय में तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडितों की समस्या पर अब कगार

मुंबई, गुरुवार: ''तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडितों की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टी से अब और अधिक समय गँवारा न करते हुए अगली सुनवाई तक पुरी जानकारी तैयार रखनी चाहीए'', ऐसा स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ के न्यायाधीश श्री. रणजीत मोरे व श्रीमती रंजना देसाई ने न्यूक्लीअर पॉवर कॉर्पोरेशन तथा महाराष्ट्र सरकार को आज दिए. प्रकल्प पीडितों की रिट याचिका में शामील हुए पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने यह जानकारी दी.

श्री. नाईक ने याचिका की अधिक जानकारी देते हुए कहा,''देश को 1,080 मेगावैट बिजली देनेवाली तारापूर अणुऊर्जा विस्तार योजना क्र. 3 व 4 शुरु होकर पाच साल हुए है. मगर अब भी प्रकल्प पीडितों की सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. वर्ष 2004 में की रिट याचिका के माध्यम से कई समस्याएं हल हुई है, फिर भी और कई का समाधान बाकी है. पिछले देढ वर्ष में याचिका की सुनवाई ही नही हुई. इसलिए याचिका की जल्द सुनवाई हो ऐसी प्रार्थना मैंने खंडपीठ को की थी. आज हुई सुनवाई के दौरान अब भी प्रकल्प से बाधित मछुआरों को उनके व्यवसाय के लिए सागर किनारे पर जमीन नही दी गयी है, इस बात की ओर मैंने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया. महाराष्ट्र सरकार ने ना शिकायत समिति के निर्णयों पर अंमल किया है ना केंद्र सरकार की नीति के अनुसार प्रकल्प पीडितों को सारे फायदे दिए है यह भी मैंने न्यायालय को कहा. प्रकल्पपीडितों का पक्ष रखते हुए एड. राजीव पाटील ने भी घर तथा नागरी सुविधाओं की कमी के बारे में न्यायालय को अवगत किया. इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय हो ऐसी हमने प्रार्थना भी की.''

न्यूक्लीअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. लोपा मुनीम ने पेशी रखी. ठाणे जिला पुनर्वसन अधिकारी श्रीमती वैदेही रानडे भी इस समय हाजिर थी. सब का सुनने के बाद ''प्रकल्प पीडितों का सही मायने में पुनर्वसन होनाही चाहीए. आवश्यक सारी जानकारी अगली तारीख को सामने रखे जाए'' ऐसा आदेश देकर खंडपीठ ने अगली सुनवाई 11 अगस्त को रखी.

(कार्यालय मंत्री)